

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25102025-267133
SG-DL-E-25102025-267133असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 290
No. 52]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947	[N. C. T. D. No. 290

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2025

फा. सं. 85/नियम/डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय, संशोधनों के माध्यम से, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केंद्रीय अधिनियम, 1908) की प्रथम अनुसूची में दो आदेशों में मौजूदा नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है, जो निम्नानुसार पढ़े जायेंगे :-

1. आदेश VI में

नियम 1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"1. अभिवचन- "अभिवचन" का अर्थ वादपत्र या लिखित कथन या प्रत्युत्तर होगा।"

2. आदेश VIII में

1) आदेश VIII का शीर्षक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"लिखित कथन, सेट-ऑफ, प्रति-दावा और प्रत्युत्तर "

2) नियम 9 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"9. पश्चातवर्ती अभिवचन, प्रत्युत्तर .- (1) न्यायालय किसी भी समय किसी भी पक्षकार से लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन की अपेक्षा कर सकता है और उसे प्रस्तुत करने के लिए तीस दिन तक का समय नियत कर सकता है।

(2) प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, लिखित कथन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर दाखिल की जाएगी:

बशर्ते कि यदि वादी उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य दिन, लिखित रूप में कारण दर्ज करके, दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह लिखित कथन की प्राप्ति से पैंतालीस दिन के बाद दाखिल नहीं होगा। ऐसे समय विस्तार के लिए, वादी पर, जैसा उचित समझा जाए, हर्जाने का भार डाला जा सकता है।

(3) जहां वादी, प्रत्युत्तर के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में किसी दस्तावेज पर निर्भर होता है, वहां वह ऐसे दस्तावेज को सूची में दर्ज करेगा, और जब प्रत्युत्तर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, तो उस दस्तावेज और उसकी एक प्रति को प्रत्युत्तर के साथ ही दाखिल किया जाएगा।"

और चूंकि उक्त संशोधनों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से लिखित में आपत्तियां एक माह की अवधि के भीतर अर्थात् दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-II, खंड-I में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आमंत्रित की जाती हैं।

और, आपत्तियां jr-rules.dhc@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जाए।

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 15th October, 2025

F. No. 85/Rules/DHC.—Whereas the High Court of Delhi, by way of amendments, proposes to amend the existing Rules in two Orders in the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act of 1908), which would read as under :-

1. In Order VI

Rule 1 shall be substituted by the following :-

"1. Pleading.— "Pleading" shall mean plaint or written statement or replication."

2. In Order VIII

1) Title of Order VIII shall be substituted by the following :-

"WRITTEN STATEMENT, SET-OFF, COUNTER-CLAIM AND REPLICATION"

2) Rule 9 shall be substituted by the following :-

"9. Subsequent pleadings, replication.— (1) The Court may at any time require a written statement or additional written statement from any of the parties and fix a time of not more than thirty days for presenting the same.

(2) The replication, if any, shall be filed within thirty days of receipt of the written statement:

Provided that where the plaintiff fails to file the replication within the said period of thirty days, he shall be allowed to file the same on such other day, as may be specified by the Court, for reasons to be

recorded in writing, but which shall not be later than forty five days from the receipt of the written statement. For such extension, the plaintiff may be burdened with costs, as deemed appropriate.

(3) Where the plaintiff relies upon any document in his possession or power, in support of the replication, he shall enter such document in a list, and shall produce it in Court when the replication is presented and shall, at the same time, deliver the document and a copy thereof, to be filed with the replication.”

AND whereas the objections, in writing, from any person, with respect to said amendments are invited within a period of one month i.e. 30 days from the date of which this Notification is published in Part-II, Section-I of Delhi Gazette Extraordinary.

AND whereas, the objections may be sent through e-mail at [**jr-rules.dhc@gov.in**](mailto:jr-rules.dhc@gov.in)

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General